कार्यालय मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर

मुख्यालयः कोर्ट रोड़, मुजफ्फरनगर

निविदा विज्ञप्ति

पत्रांक.......1203 – 84 / प्रशासन / 2024–25   दिनांकः 09-10-2024

मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों, तहसीलों में बैंक कार्य हेतु वाहन के रूप में स्कार्पियो वाहन एक वर्ष के लिए किराये पर लिया जाना है। वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पंजीकृत निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें बैंक की वेबसाईट पर https://muzaffarnagardcb.com पर भी उपलब्ध है। निविदा पत्र का प्रारूप, निर्धारित शुल्क, बैंक की मुख्य शाखा, मुजफ्फरनगर में जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के रूप में जो सचिव/मुख्य कार्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर के पक्ष में बन्धक हो, निविदा पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि (रू0 में)	धरोहर राशि (रू0 में)	निविदा जमा करने का अन्तिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने का दिनांक व समय	वित्तीय निविदा खुलने का दिनांक व समय
1	स्कार्पियों (टाप मॉडल एन–8 लग्जरी)/बोलेरो (टाप मॉडल नियो एन–10)	1000	20000	दिनांक–21.10.2024 समय अपराह्न 5:00 बजे तक	दिनांक–23.10.2024 समय पूर्वाह्न 11.00 बजे तक	दिनांक–23.10.2024 समय अपराह्न 3:00 बजे तक

उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्तें कार्यालय समय में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा पत्र दिनांक–21.10.2024 तक कार्यालय समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर बैंक की मुख्य शाखा, कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर से प्राप्त किये जा सकेंगे।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शर्तें

1. माडल 2023 या उससे नवीन को वरीयता दी जायेगी। वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए और 20000 कि0मी0 से अधिक नहीं चला होना चाहिए। 2022 से पुराना वाहन निविदा में शामिल नहीं किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि 12 माह होगी। उभय पक्ष की सहमति से उसे बढ़ाया जा सकेगा।
2. उक्त वाहन मासिक किराये पर लिया जायेगा। वाहन की सुरक्षा की जवाबदारी निविदादाता की होगी।
3. पंजीकृत निविदा पत्र दिनांक 21.10.2024 की अपराह्न 5:00 बजे तक वाहन के मासिक किराये या भाड़े की दर सहित सील बन्द लिफाफे में सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए।
4. किराये की अवधि में वाहन में डीजल/पेट्रोल प्रदाय की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय की होगी।

   4 (ए) ड्राईवर सहित वाले वाहन के लिए ड्राईवर के वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा।
5. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। स्टेपनी सहित चारों टायर अच्छी कन्डीशन में होने चाहिए। रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता कार्यालय को सामन्यतया 2 घण्टें में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन का माइलोमीटर चालू हालत में होना चाहिए। वाहन में समस्त प्रकार के मरम्मत का व्यय वाहन प्रदाता वहन करेगा।
6. ए0सी0 वाहन का माईलेज 10 किलो मीटर प्रति लीटर से कम नहीं होगा। यदि वाहन का माईलेज उक्त निर्धारित दर से कम होगा तो अधिक डीजल खपत की राशि मासिक किराये की राशि से एकमुश्त काटी जायेगी।
7. धरोहर राशि रू0 20000/— अमानत की राशि की एफ0डी0आर सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर के पक्ष में बन्धक करनी होगी।
8. वाहन के पेपर्स की फोटोकापी निविदा के साथ प्रस्तुत करें एवं वाहन प्रदाता को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन इत्यादि से सम्बन्धित कागजात हमेशा वाहन में रखना होगा।
9. वाहन विभाग के पास एक वर्ष की अवधि के लिए आधिपत्य में रहेगा।
10. वाहन चालक के अवकाश पर होने पर वाहन स्वामी को दूसरा वाहन चाहक उपलब्ध कराना होगा।
11. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो, वाहन चालक अपराधिक चरित्र का व्यक्ति न हो। चालक को ड्राईविंग लाईसेन्स हमेशा साथ में रखना होगा एवं वाहन के पेपर्स भी वाहन के साथ रखने होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर, वाहन का स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा समस्त चार्ज वहन करेगा। यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
12. वाहन सामन्यतया प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:30 बजे तक सेवा में रहेगा। वाहन चालक भी सामन्यतः प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:30 बजे तक कार्यरत रहेगा किन्तु आवश्यक होने पर वाहन एवं वाहन चालक 24 घण्टे उपलब्ध रहना चाहिए।

क्रमशः पेज—2

13. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर को होगा।
14. वाहन चालक का पुलिस बेरीफिकेशन कराना होगा।
15. वाहन प्रदाता स्वामी को मासिक किराये के भुगतान से नियमानुसार टीडीएस कटौती कर भुगतान किया जायेगा। सम्बन्धित का पैन कार्ड आवश्यक है।
16. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र मुजफ्फरनगर होगा।
17. वाहन बैंक मुख्यालय पर लिये जायेंगे और अनुबन्ध का निष्पादन उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन) के साथ किया जायेगा। वाहन का उपयोग मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर के लिए किया जायेगा। वाहन 24 घण्टे सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर के नियंत्रण में रहेगा।
18. यात्रा के दौरान दुर्लभ स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकता है। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करेगा।
19. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
20. वाहन चालक द्वारा सम्बन्धित वाहन उपभोगकर्ता अधिकारी से प्रतिदिन की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना अनविार्य होगा।
21. निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन प्रदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त मांग अनुसार आदेश दाता अधिकारी के साथ मय ड्राईवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा।
22. दरें संलग्न नियत पत्रक में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
23. निविदा दाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिए बैंक सेवा से वाहन ले जाये जाने पर की गयी यात्रा का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जायेगा।
24. वाहन के खराब एवं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से उसी स्तर का वाहन उपलब्ध कराये जाने का दायित्व निविदादाता का होगा, अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि मासिक किराये का 1/30 प्रतिदिन के मान से काटी जायेगी।
25. एक माह के नोटिस देकर वाहन सेवा का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0, मुजफ्फरनगर, मुख्यालय कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर का रहेगा।
26. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों में न्यूनतम् दरों वाली प्राप्त निविदा को मान्य किया जायेगा।

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी